MRA AN USIUS The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

tti. 993] No. 9931 नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2006/भाद्र 14, 1928 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2006/BHADRA 14, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2006

का.आ. 1439(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 8) की धारा 1 की ठप-वारा (2) द्वारा प्रदत्त राक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 सितम्बर, 2006 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 प्रवर्तन में आएगी।

> . [फा. सं. 5/27/2006-सी.एल.V] जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2006

S.O. 1439(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Company Secretaries (Amendment) Act, 2006 (8 of 2006), the Central Government hereby appoints the 5th September, 2006, as the date on which Section 6 of the said Act shall come into force.

[F. No.5/27/2006-CL.V] JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2006

का,आ. 1440(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउन्टेंट (संसोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 9) की बारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 सितम्बर, 2006 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 प्रवर्तन में आएगी।

[फा. सं. 5/27/2006-सी.एल.V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2006

S.O. 1440(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 (9 of 2006), the Central Government hereby appoints the 5th September, 2006, as the date on which Section 6 of the said Act shall come into force.

[F. No. 5/27/2006-CL.V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.